

आभार वाद सं०... २४०/२०१६-१७

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
21/12	अभिलेख उपस्थापित । झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विषेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं0-3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा..... थाना नं0..... खाता सं0..... प्लॉट सं0..... रकबा..... 2.23 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म..... अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं0..... के पृष्ठ सं0..... पर जमाबंदी रैयत..... के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक..... को उपस्थापित करें।	अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि
उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में.....

अभिलेख, दिनांक.....23.2.24.....को उपस्थापित करें।

छत्तरपुर ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा रामपुरा मौजा नं० 318 खाता सं० 12 प्लॉट सं० 0363

[illegible]

.....तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष.....तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं०.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित ।

छत्तरपुर ।

छत्तरपुर ।

पंजीकरण के लिए लेखित जमाना
जमा कोटि जमा रकम रु १६००

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू एवं हजारीपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
रामशरण मुंडिया	करसा	318	17	363	2.23	गैरमजदूरी	
S/O मंगल मुंडिया						मानिक	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :-

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मांग पंजी II स्पष्ट नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

मांग पंजी II में स्पष्ट नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रूपये से कम या इससे अधिक) :-

NA

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) वाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

पंजी II से
खतिआन से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

नहीं

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

भूमि का मांग मौजा - करमा के खता - 17 खता - 363 खता - 2-23 खता का मांग पंजी - II के पृ. 109/II पर शमशरण भुइया ड/0 मंगरु भुइया के नाम से दर्ज है। पंजी - II में मांग मगम लेने का न कोई आधार दर्ज है और न ही किसी सज्जम महाविद्वारी ड/0/PRDC द्वारा लगातार निवारण संबंधी दस्तावेज मांगदारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। खता - 17 खता 363 गैरमजबूत भाषिक जंगल - झाड़ दर्ज है। ऐसे में मांग अवैध प्रतीत होता है। अतः अगेर करवाई हेतु जांच प्रतिवेदन सार दर्जित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जौधोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया नहीं गया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को खंड करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

प्रमुख अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा, उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- रामशरण मुखिया पिता मंगर मुखिया
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या II पृष्ठ सं. 109 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
करमा	518	17	363	2.23

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जैरमलरुआ मानिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- स्पष्ट नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

मौजा पंजी II स्पष्ट नहीं है।

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
पंजी II व खतियान से मिलाज किया
पंजी II स्पष्ट नहीं है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	309399	26/2/78	1978-79
2	398939	31/3/81	80-81
3	235774	11/2/84	83-84
4	657658	11/3/86	85-86

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 280 / 20.16.17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

अनाम. रामशरण भुइया

पिता - मंगरु भुइया

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा करमा थाना नं० 318 खाता सं० 17 खेसरा नं० 363 रकबा 223 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 5 के पंजी-II भाग 2 के पृष्ठ 109 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसंगत अनुशंसा कर दी जायेगी।



08/11/22

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 380 / 2016-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम रत्नलाली दिवा हुकुम जिला

जिला मजदूर पालिका जिला

जिला पालिका

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा मजदूर थाना नं०.....
खाता सं० 99 खेसरा नं०..... रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० VII के पंजी-II भाग..... के पृष्ठ..... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 9/3/24 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपके
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय प
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशं
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी
उत्तरपुर।